पत्रांक–1 / विविध–024 / 2013 का०– 4897.
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

राजीव गौबा,
मुख्य सचिव,
झारखण्ड।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 03/06/15

विषय : आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत पत्रांक–3283 दिनांक 10.04.2015 में निदेशित है कि उपायुक्त जिला से बाहर जाने के पूर्व राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करेंगे एवं समयाभाव की स्थिति में मुख्य सचिव से दूरभाष पर पूर्वानुमति प्राप्त कर लेंगे। उक्त निदेश के आलोक में उपायुक्तों के द्वारा आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु अधोहस्ताक्षरी से अनुरोध किया जा रहा है।

समीक्षोपरान्त आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा–निदेश दिये जाते हैं :–

1) आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं आकस्मिक अवकाश की अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु उपायुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुरोध करेंगे एवं इसकी सूचना मुख्य सचिव को देंगे।

2) राज्य से बाहर की यात्रा (व्यक्तिगत / बैठक / कार्यशाला आदि) की पूर्वानुमति मुख्य सचिव से प्राप्त की जायेगी एवं बैठक / कार्यशाला के Outcome पर Tour Note निश्चित रूप से सम्बन्धित विभाग एवं प्रमण्डलीय आयुक्त को समर्पित करेंगे।

3) आकस्मिक / उपार्जित अवकाश आदि के अभ्यावेदन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए कि उनकी अनुपस्थिति में रूटीन कार्यों के प्रभार में कौन से पदाधिकारी रहेंगे ताकि आवश्यकता होने की स्थिति में नामित पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(राजीव गौबा)
मुख्य सचिव।